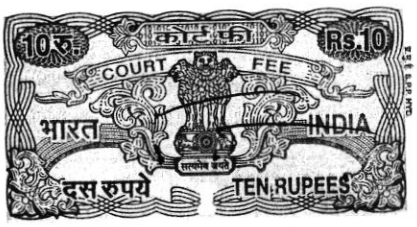

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला – धार

PBR/अपील/धार/आ0अ0/2018/01109

मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड
बौराली, जिला – धार (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1 आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश, ग्वालियर

2 उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता ग्वालियर/इन्दौर/उज्जैन (म.प्र.)

3 जिला आबकारी अधिकारी,
जिला – धार (म.प्र.)

4 जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड बोराली जिला–धार (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थीगण

कार्यालय/न्यायालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/404 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/धार/आ.अ./2017/1109

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/18	अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/404 में पारित आदेश दिनांक 12-1-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए अपीलार्थी मेसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड बोराली जिला धार को जिला शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मंदसौर नीमच, बुरहानपुर प्रदाय क्षेत्र में बोतलबंद देशी मदिरा का थोक प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया था । म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में बोतलबंद देशी मदिरा के थोक विक्रय के के प्रयोजन से प्रकाशित टेंडर नोटिस दिनांक 4-3-2015 की शर्त क्रमांक 6(xxxii) के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक कम्प्यु./2015/91 दिनांक 28-4-2015, पत्र क्रमांक कम्प्यु./2015/119 दिनांक 21-5-2015 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को आवंटित प्रदाय क्षेत्र के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में उनके स्वयं की लागत एवं व्यय पर विभागीय कम्प्युटरीकरण अंतर्गत वीसेट कनेक्टिविटी कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा निर्देशों एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अपीलार्थी कम्पनी का कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 9(5) व टेण्डर तथा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के अन्तर्गत दण्डनीय होना मानकर पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/404 में दिनांक 12-1-2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2015-16 में आवंटित जिला शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मंदसौर नीमच, बुरहानपुर प्रदाय क्षेत्र के 10 स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर वीसेट कनेक्टिविटी नहीं कराने के कारण	

प्रति स्टोरेजमद्यभाण्डागार रूपये 10,000/- कुल 10 स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर रूपये 1,00,000/- शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा जवाब में उल्लेख किया गया था कि आसवक द्वारा अपनी इकाई में मांग अनुसार स्कन्ध आपूर्ति बनाये रखना निर्धारित स्कंध नियमानुसार न रखे जाने पर भी किसी पक्ष को आर्थिक क्षति न होने से संबंधित तथ्यों का उल्लेख करते हुए उसके विरूद्ध किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही न किये जाने का अनुरोध किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं मानने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, बल्कि जो भी त्रुटि हुई है, वह व्यवस्थाओं का दोष है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कि कि अपीलार्थी कम्पनी एवं राज्य शासन के मध्य एक संविदा है, इसी के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा शासकीय मद्यभाण्डागारों में देशी मदिरा का प्रदाय किया जाता रहा है । संविदा अधिनियम की धारा 73 एवं 74 में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति करायी जा सकती है । वर्तमान प्रकरण में राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । अत: प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जो जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर न तो कोई विचार किया गया है और न ही उनका आदेश में

उल्लेख किया गया है । अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थीगण शासन की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा निर्देशों एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी मेसर्स ओयसिस कम्पनी को जिला शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मंदसौर नीमच, बुरहानपुर प्रदाय क्षेत्र में बोतलबंद देशी मदिरा का थोक प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया जाकर लायसेंस की शर्त क्रमांक 6(XXXii) के अनुक्रम में पत्र क्रमांक कम्प्यु./2015/91 दिनांक 28-4-2015, पत्र क्रमांक कम्प्यु./2015/119 दिनांक 21-5-2015 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को उक्त आवंटित प्रदाय क्षेत्र के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में उनके स्वयं की लागत एवं व्यय पर विभागीय कम्प्युटरीकरण अंतर्गत वीसेट कनेक्टिविटी कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था । अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्देशों एवं शर्तों का पालन नहीं कर, उल्लंघन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर जवाब लिया गया है, जिसमें अपीलार्थी कम्पनी का उत्तर समाधान कारक नहीं पाया गया है । अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य देशी स्प्रिट नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टत: उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है । अत: इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

अध्यक्ष